Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated..................................

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स

3 अगस्त, 2012

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड योजना - बार संघों को सहायता

महोदय/महोदया,

मंत्रालय को विभिन्न सांसदों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें बार संघों को सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है । एमपीलैड्स निधियों के संवर्धित आवंटन को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले की जांच की गई है तथा निम्नलिखित पैरा, जिसे एमपीलैड योजना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.38 के रूप में जोड़ा जा सकता है, के अनुसार एमपीलैड योजना के तहत बार संघों को सहायता देने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया गया है:-

"**3.38 बार संघों को सहायता** - सांसद तहसील/उप-मंडल/जिला स्तर पर बार संघ के भवन-निर्माण के प्रयोजनार्थ बार संघों के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए भूमि क़ेन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय स्वायत्त शासन की हो तथा यह एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधानों के अध्यधीन हो । बार संघ के किसी आवर्ती व्यय के लिए कोई एमपीलैड्स निधि अनुमत्य नहीं होगी ।

एमपीलैड्स और अन्य सरकारी स्रोतों से संबंधित व्यय के खाते पूर्णत: अलग-अलग रखे जाएंगे तथा किसी प्रकार के दोहराव/दोहरे लेखांकन से बचने के लिए इनकी कड़ाई से जांच की जाएगी । एक पट्टिका (इस्पात/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए जिस पर कार्य की लागत, एमपीलैड्स/अन्य सरकारी स्रोत से प्राप्त अंशदान, यदि कोई हो, कार्य का आरंभ, समापन और उद्घाटन तिथि तथा कार्य को प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाया गया हो ।

3.38.1 पुस्तकों की खरीद के लिए बार संघ पुस्तकालय को सहायता: ऊपर्युक्त पैरा 3.38 और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधानों के अध्यधीन, सांसद निचली अदालतों एवं जिला न्यायालयों (अर्थात तहसील/उप-मंडल/जिला स्तर के न्यायालय) के लिए 50,000/- रुपए प्रतिवर्ष तक की पुस्तकों की खरीद हेतु बार संघ पुस्तकालय के लिए एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं ।

3.38.2 पैरा 3.38 और 3.38.1 के अंतर्गत सांसदों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच/उनका अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- संबंधित जिले का जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
- जिला/सत्र न्यायधीश द्वारा मनोनीत लोक अभियोजक	सदस्य
- संबंधित न्यायालय का पंजीयक	सदस्य
- बार परिषद द्वारा मनोनीत दो विख्यात वकील/अधिवक्ता	सदस्य

2. चूंकि, वर्तमान में, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के तहत सामुदायिक अवसंरचना एवं जनोपयोगी निर्माण कार्य केवल पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए ही अनुमत्य हैं तथा पुस्तकें इसमें शामिल नहीं हैं, अत: पैरा 3.21 की विषय-वस्तु में संशोधन करते हुए पैरा 3.38.1 जोड़ा गया है ।

3. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

भवदीय,

देवेन्द्र वर्मा

(देवेन्द्र वर्मा)
उप महानिदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
5. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।